न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 708 / 2022

अनवान : –

1. रामनिवास पुत्र सुणाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सुणाराम पुत्र सीताराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. राजबाला पुत्री सुणाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. रोशनी पुत्री सुणाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
4. धापा पुत्री सुणाराम जाति जाट जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता **वादी**
श्री अंजनी कुमार अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 24/01/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 149 / 149 के ख0न0 65 / 5 की 6.6640 हैक्ट भूमि, ख0न0 65 / 6 की 1.6570 हैक्ट भूमि, ख0न0 67 की 3.2750 हैक्ट भूमि कुल 11.5960 हैक्टर भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 सुणाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत हैं।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 5 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

साक्ष्य वादी में वादी रामनिवास के द्वारा [illegible] बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:23:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाने चाहते है। इस हेतु प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट कर वाद की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश किया है। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 149/149 के ख0न0 65/5 की 6.6640 हैक्ट भूमि, ख0न0 65/6 की 1.6570 हैक्ट भूमि, ख0न0 67 की 3.2750 हैक्ट भूमि कुल 11.5960 हैक्टर भूमि में से 1/5 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 सुणाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा राजीनाम पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 ता 4 को कोई उजर व एतराज नही है प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता सं0 149/149 के खसरा न0 65/5, 65/6, 67 की कुल 11.5960 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 सुणाराम के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि में वादी रामनिवास व प्रतिवादी स0 1 सुणाराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.23...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:23:19 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 708/2022

अनवान : –

1. रामनिवास पुत्र सुणाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सुणाराम पुत्र सीताराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. राजबाला पुत्री सुणाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. रोशनी पुत्री सुणाराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
4. धापा पुत्री सुणाराम जाति जाट जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री मांगीलाल व वकील प्रतिवादी श्री अंजनी कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता सं0 149/149 के खसरा न0 65/5, 65/6, 67 की कुल 11.5960 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 सुणाराम के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि में वादी रामनिवास व प्रतिवादी स0 1 सुणाराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/01/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:23:19 IST
Reason: SelfAttested